न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
पारित द्वारा : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक 3780–दो / 2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–8–2013 पारित द्वारा तहसीलदार रामपुर बाघेलान प्रभारी वृत्त रामपुर बाघेलान जिला सतना प्रकरण कमांक 19 / ए6ए / 2012–13

1. चन्द्रकुमार अवधिया
2. प्रदीप कुमार अवधिया
   दोनों पुत्रगण स्व0 श्री वंशधारी प्रसाद अवधिया
   दोनों निवासी साकिन रामपुर बाघेलान
   बार्ड कं0 8 तहसील रामपुर बाघेलान
   जिला सतना म0प्र0

– – – – – आवेदकगण

विरूद्ध

शिवमूर्ति अवधिया तनय
स्व0 वंशधारी प्रसाद अवधिया
निवासी रेव्यनू कालोनी विवेक नगर
म0नं0 13 / 1 / 6 अनूपपुर जिला अनुपपूर
म0प्र0

– – – – – अनावेदक

– – – – –

श्री विजय कुमार, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विपिन त्रिपाठी, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – –

आदेश पारित
दिनांक 11 दिसम्बर 2014

– – – – –

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार रामपुर बाघेलान प्रभारी वृत्त रामपुर बाघेलान जिला सतना प्रकरण कमांक 19 / ए6ए / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष मौजा रामपुर बाघेलान की आराजी नम्बर 699/1क/9/1/1 रकबा 0.023 हेक्टेयर (जिसे आगे विचाराधीन भूमि कहा जायेगा) से आवेदकगण का नाम विलोपित करने हेतु संहिता की धारा 115–116 के तहत आवेदन पत्र पेश किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रकरण के प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा दिनांक 19–3–13 को जबाव के स्थान पर आपत्ति पेश की गई। आवेदक द्वारा अनावेदक की आपत्ति का जबाव दिनांक 7–6–2013 को दिया गया। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 23–8–2013 को आवेदक की आपत्ति को निरस्त किया और प्रकरण दस्तावेज पेश करने हेतु नियत किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक का मुख्य तर्क है कि अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन भूमि पर से आवेदकगण का नाम विलोपित करने के लिए संहिता की धारा धारा 115–116 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर आवेदक की आपत्ति को तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्वक निरस्त किया एवं इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि अनावेदक खसरे में जिस प्रकार का सुधार कराना चाहता है वह संहिता की धारा 115/116 के अन्तर्गत नहीं की किया जा सकता क्योंकि संहिता की धारा 108 में तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में सुधार धारा 115–116 में नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देकर अनावेदक जिस खसरे नम्बर की भूमियों पर से आवेदकगण का नाम हटाना चाहता है वह वास्तव में पैतृक संपत्ति के बटवारे के द्वारा ही निराकृत किया जा सकता है। धारा 115–116 के अन्तर्गत निराकरण नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किया जो कि गलत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि पैतृक संपत्ति के रूप में आवेदकगण एवं अनावेदक को प्राप्त नहीं हुई थी, अपितु उक्त भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक ने दिनांक 2–7–1993 को संयुक्त रूप से क्रय की थी, जिसपर राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में आवेदकगण तथा अनावेदक का नाम दर्ज हो चुका था। तत्पश्चात आवेदकगण ने अपने हिस्से की भूमि दिनांक 18–10–05 को भूपेन्द्र सिंह पिता हीरालाल सिंह साकिन हिनोती को 0.006 हेक्टेयर एवं दिनांक 9–10–2006 को सरोजसिंह पत्नी अमरसिंह साकिन हिनोती को 0.029 हेक्टेयर विक्रय कर दी। इस प्रकार अपने हिस्से की भूमि विक्री करने के पश्चात विचाराधीन भूमि के बचे हुये भाग पर अनावेदक का ही भूमिस्वामित्व शेष था, इसलिए उस पर से दोनों आवेदकों का नाम जो कि त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरे में अंकित था, उसे विलोपित किया जाना चाहिए था, इसलिए अनावेदक ने इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विचाराधीन भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक के द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की थी। परन्तु पैतृक भूमि नहीं थी इसलिए पैतृक भूमि की तरह अन्य सम्पत्ति की भांति इस भूमि का बटवारा किये जाने का तर्क उठाया है; जो गलत है क्योंकि पैतृक भूमि का बटवारा पूर्व से ही किया जा चुका है। यह भूमि 22–7–1993 को क्रय की गई थी, जिसकी प्रविष्टी खसरे में की गई है। यह प्रविष्टी धारा 108 के तहत अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रविष्टी नहीं है अपितु धारा 114 के तहत तैयार खसरा है, इसलिए इसमें धारा 115–116 के तहत सुधार किया जा सकता है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि आवेदकगण एवं अनावेदक द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की थी जिस पर खसरे में उनका भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज किया था। जैसा कि अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया गया तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि आवेदक व अनावेदक द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की थी, जिसकी प्रविष्टी धारा 114 के तहत तैयार

किये गये खसरे में भूमिस्वामी के रूप में उनके नाम दर्ज थी। अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उस भूमि पर अपना स्वामित्व होने तथा आवेदकगण द्वारा अपने हिस्सा का विक्रय किये जाने के पश्चात खसरे में सुधार हेतु आवेदन दिया गया। यह प्रविष्टि राजस्व सर्वेक्षण (बन्दोबस्त) के समय धारा 108 के अन्तर्गत तैयार अधिकार अभिलेख में की गई प्रविष्टी नहीं है। इसलिए इस मामले में खसरे में सुधार की कार्यवाही धारा 115/116 के तहत की जा सकती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायाल द्वारा आवेदक की आपत्ति को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जाना शेष है। गुण–दोष पर विचार करते समय आवेदक एवं अनावेदक को विचाराधीन भूमि में अपने हिस्से के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उपलबध होगा।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार रामपुर बाघेलान प्रभारी वृत्त रामपुर बाघेलान जिला सतना का आदेश दिनांक 23–8–2013 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण तहसीलदार को प्रकरण गुण–दोषों पर निराकरण हेतु भेजा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर